**बाबूलाल मराण्डी**
नेता प्रतिपक्ष (पूर्व मुख्यमंत्री)
झारखण्ड

पता :
बी.पी.डी.पी. गेस्ट हाउस, मोरहाबादी,
राँची - 834008
दूरभाष : 0651-2960966
मोबाईल : 7004173300
ई–मेल : yourbabulal@gmail.com

पत्रांक : 246/LoP/26 दिनांक : 15/05/26

## अनुस्मारक पत्र

माननीय मुख्यमंत्री जी,

**विषय :– झारखण्ड ट्रेजरी महाघोटाले की सीबीआई जाँच कराने के सम्बन्ध में।**

**संदर्भ :– पत्रांक 208/LoP/26, दिनांक 11.04.2026**

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में आपको दिनांक 11 अप्रैल, 2026 को पत्र लिखकर इस बहुचर्चित एवं गंभीर ट्रेजरी महाघोटाले की जाँच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (C.B.I.) से कराने का अनुरोध किया था, लेकिन पत्र लिखे एक महीने से अधिक समय बीत गया, अभी तक इस घोटाले की निष्पक्ष एवं विश्वसनीय जाँच हेतु आपके स्तर से कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। आप अभी तक मौन साधे हुए हैं, यदि समय रहते हुए इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो आनेवाले समय में बिहार में हुए चारा घोटाले जैसी परिस्थिति होगी और इसके जद में पदाधिकारियों के साथ–साथ सरकार में बैठे जिम्मेवार नेता भी गिरफ्त में आ जायेंगे।

यह मामला केवल वित्तीय अनियमितता तक सीमित नहीं प्रतीत होता, बल्कि यह एक व्यापक और संगठित भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण है। अब तक उपलब्ध सूचनाओं एवं विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार लगभग 14 जिलों में यथा हजारीबाग, बोकारो, पलामू, गढ़वा, रांची, रामगढ़, देवघर, जमशेदपुर, साहेबगंज एवं अन्य में ट्रेजरी घोटाले की पुष्टि हुई है और उक्त जिलों के 14 कोषागारों से लगभग 130 करोड़ रूपये के अवैध निकासी के मामले आ रहे हैं। जिस गति से प्रतिदिन विभिन्न ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले आ रहे हैं इससे स्पष्ट होता है कि यह घोटाला कहीं अधिक हो सकता है। इस संदर्भ में मैं, आपका ध्यान पुनः निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर आकृष्ट कराना चाहूँगा।

1. प्रारंभिक स्तर पर यह मामला सिर्फ बोकारो और हजारीबाग जिलों तक सीमित हो रहा था। जैसे–जैसे जाँच आगे बढ़ी और परतें खुलती गई और अभी तक लगभग 14 जिलों से अवैध निकासी की पुष्टि हुई है। इससे यह प्रतीत होता है कि कोई स्थानीय स्तर पर या छोटी रकम का घोटाला नहीं है बल्कि पूरे झारखण्ड में फैला एक संगठित आर्थिक अपराध है। अतः इसकी जाँच भी राज्यव्यापी स्तर पर, निष्पक्ष और गहन तरीके से कराई जाना आवश्यक है।

बाबूलाल मरांडी
प्रतिपक्ष (पूर्व मुख्यमंत्री)
झारखण्ड

पता :
बी.पी.डी.पी. गेस्ट हाउस, मोरहाबादी,
राँची - 834008
दूरभाष : 0651-2960966
मोबाईल : 7004173300
ई–मेल : yourbabulal@gmail.com

पत्रांक : 246/LOP/26 दिनांक : 15/05/26

2. बोकारो में गिरफ्तार लेखापाल कौशल पांडे को इस पूरे घोटाले का मुख्य आरोपी बताना वास्तविकता से परे प्रतीत होता है। यह मामला तर्कसंगत नहीं है कि एक अकेला लेखापाल ई–कुबेर प्रणाली में छेड़छाड़ कर, किसी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की जन्मतिथि में बदलाव कर, करोड़ों रूपये की अवैध निकासी जैसे जटिल षडयंत्र को अंजाम दे सकता है। इस घोटाले में बोकारो जिला में पदस्थापित Dy. SP. अनिमेश गुप्ता, जो DDO के प्रभार में थे। इनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। गंभीर तथ्य यह भी है कि बोकारो जिले में मृतक सिपाही उपेन्द्र सिंह के नाम पर वेतन की राशि अनु पांडे के खाते में 63 बार स्थान्तरित होती रही और पूरे पुलिस महकामे को इसकी जानकारी तक नहीं हुई। अभी तक जो जानकारी मिली है कि बोकारो जिला में ट्रेजरी से अवैध निकासी की रकम 4.5 करोड़ रूपये से बढ़कर लगभग 16 करोड़ रूपये तक पहुँच गई है। इससे स्पष्ट होता है कि बिना वरीय पुलिस अधिकारियों की जानकारी या संरक्षण के बिना यह संभव नहीं हो सकता है।

3. इस प्रकरण में चिंताजनक पहलू यह है कि कौशल पांडेय जैसे अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता, बोकारो के पूर्व पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयारी, पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक पटेल मयूर कनैयालाल तथा पूर्व डीआईजी (बजट) नौशाद आलम जैसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए थे। यह तथ्य इस ओर संकेत करता है कि आरोपी को न केवल संरक्षण प्राप्त था, ब्लकि उसे संस्थागत स्तर पर प्रोत्साहन भी मिला हुआ था।

4. इसी तरह हजारीबाग जिले में ट्रेजरी से अवैध निकासी की रकम 8 करोड़ रूपये से शुरू होकर अभी तक लगभग 30 करोड़ रूपये तक पहुँच गई है। और इस अवैध निकासी में हजारीबाग जिले में पदस्थापित सिपाही शंभु कुमार चौधरी, पंकज कुमार उर्फ धीरेन्द्र सिंह की मुख्य संलिप्तता रही। शंभु कुमार ने 17 वर्षों तक नौकरी करने के बावजूद कोई प्रमोशन नहीं लिया और एक ही जगह पर पदस्थापित रहकर घोटाले को अंजाम देते रहे। शंभु कुमार ने इस अवैध कमाई से न केवल हजारीबाग में आलीशान मकान और महँगी गाड़ियाँ खरीदी बल्कि पत्नी, ससुर एवं साला के नाम पर अवैध सम्पतियाँ भी खरीदी है एवं बहन संगीता चौधरी के खाते में भी ट्रेजरी घोटाले का पैसा ट्रांसफर किया। पुलिस की जाँच में अभी तक जानकारी के अनुसार इसकी पुष्टि भी हुई है और गिरफ्तारी भी हुई है। इसी तरह पंकज कुमार ने ट्रेजरी घोटाले कर करोड़ों रूपये की सम्पति खरीदी। पंकज कुमार द्वारा एक महिला को 80

बाबूलाल मरांडी
प्रतिपक्ष (पूर्व मुख्यमंत्री)
झारखण्ड

पता :
बी.पी.डी.पी. गेस्ट हाउस, मोरहाबादी,
राँची - 834008
दूरभाष : 0651-2960966
मोबाईल : 7004173300
ई–मेल : yourbabulal@gmail.com

पत्रांक : 246/LOP/26 दिनांक : 15/05/26

लाख रूपया ट्रांसफर भी किया गया। जाँच में जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं कि पुलिस बल में असमय निधन होने वाले कर्मियों के आश्रितों के नाम पर खोले गए खातों का दुरूपयोग करते हुए अवैध निकासी कर अपने मित्रों, नाते–रिश्तदारों के नाम पर रकम ट्रांसफर किया गया।

5. विश्वस्त सूत्रों एवं प्राप्त जानकारियों के अनुसार राज्य के 14 जिलों में अवस्थित कोषागारों से लगभग 130 करोड़ रूपये के अवैध निकासी की बात सामने आ रही है, जो एक बड़े घोटाले होने का संकेत देता है, जो चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला साबित होने की संभावना है।

6. यह सर्वविदित है कि विभिन्न जिलों में पुलिस प्रशासन में खर्च हेतु ट्रेजरी से होने वाली निकासी की निगरानी की जिम्मेदारी डीडीओ, अर्थात् संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) की होती है, जिसे सामान्यतः डीएसपी (मुख्यालय) को सौंप दिया जाता है। ऐसे में इस पूरे घोटाले में जिला स्तर के डीएसपी और एसपी की भूमिका की निष्पक्ष और गहन जाँच होना अत्यंत आवश्यक है।

7. इसके अतिरिक्त, इस पूरे घोटाले में JAP-IT की भूमिका की जाँच भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि तकनीकी स्तर पर किस प्रकार की हेराफेरी की गई और किन लोगों की इसमें संलिप्तता रही।

8. यह भी उल्लेखनीय है कि झारखंड में ट्रेज़री से अवैध निकासी की घटनाएँ कोई नई बात नहीं हैं। आपके कार्यकाल में इससे पूर्व भी ऊर्जा विभाग से लगभग 100 करोड़ रुपये, पर्यटन विभाग से लगभग 10 करोड़ रुपये तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से लगभग 23 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले सामने आ चुके हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मामले में तो माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करते हुए जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपनी पड़ी थी। **इससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस विभाग में हुआ यह ट्रेज़री घोटाला किसी एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़े और संगठित आर्थिक अपराध की कड़ी है, जिसमें पूरे राज्य में सुनियोजित तरीके से सरकारी धन की लूट की जा रही है।**

बूलाल मराण्डी
प्रतिपक्ष (पूर्व मुख्यमंत्री)
झारखण्ड

पता :
बी.पी.डी.पी. गेस्ट हाउस, मोरहाबादी,
राँची - 834008
दूरभाष : 0651-2960966
मोबाईल : 7004173300
ई–मेल : yourbabulal@gmail.com

पत्रांक : 246/Lop/26

दिनांक : 15/05/26

ऐसी परिस्थिति में जाँच की निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि यह पूरे मामले की जाँच किसी स्वतंत्र और विश्वसनीय एजेंसी द्वारा कराई जाय।

अतः आपसे आग्रह है कि इस बहुचर्चित और गंभीर ट्रेज़री महाघोटाले की जाँच **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराई जाए**, ताकि सत्य उजागर हो सके और दोषियों को कठोरतम सजा मिल सके।

सधन्यवाद!

सेवा में,
श्री हेमन्त सोरेन जी,
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखण्ड सरकार, राँची।

आपका

(बाबूलाल मराण्डी)
15.5.2026